न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10/2021

प्रार्थीगण–

1. नीलम देवी पत्नी शंकरराराम
2. जोगेन्द्र पुत्र शंकरराराम
3. धर्मेन्द्र पुत्र शंकरराराम

जाति नाई निवासी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत भाडखा जरिये सरपंच
2. श्रीमति संतु देवी पत्नी तारा जाति नाई निवासी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या शुन्य मिसल संख्या शुन्य मे ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा दिनांक 05.09.2001 को जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री कुन्दनसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 14.09.2021

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम भाडखा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पुराना कब्जा सुद मकान का विक्रय विलेख सं. शुन्य दिनांक 05.09.2001 को जारी कि[illegible] । ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा इस पट्टा विलेख को ज[illegible] [illegible]राज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किया जाना मा[illegible] हुए, उक्त पट्टे [illegible]यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:36 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 मय अधिवक्ता सुनवाई उपस्थित होकर प्रार्थीगण के साथ राजीनामा करते हुए प्रकट किया कि विवादित सम्पूर्ण भूखण्ड का आलौच्य पट्टा विलेख भूलवश उसके नाम बन गया था। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित भाग पर प्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार कर माफिक नजरी नक्शा दोनो पक्षों के नाम पट्टे जारी किये जाने की सहमति प्रदान की जाती हैं। अप्रार्थी सं. 2 एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के संयुक्त स्वामित्व का एक भूखण्ड मौजा भाडखा की आबादी भूमि में आया हुआ हैं जिसके नाप व पडौस पूर्व की भुजा 22 फीट 6 इन्च, पश्चिम की भुजा 10 फीट 6 इन्च एवं आगे निजी 4 फीट की गली कुल लम्बाई 14 फीट 6 इन्च, उतर की भुजा 82 फीट, दक्षिण की भुजा 72 फीट हैं। भूखण्ड के पूर्व में गुले खां का मकान, पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 68, उत्तर में हुकमा लुहार तथा दक्षिण में अप्रार्थी सं. 2 का मकान व मोहनलाल की दुकान आई हुई हैं। प्रार्थीगण के पूवर्ज शंकरा व अप्रार्थी सं. 2 के पति तारा सगे भाई थे तथा दोनो भाईयों ने अपने–अपने हिस्से पर मकान बनाकर रखे हैं। तारा के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी सं. 2 अपने भूखण्ड पर काबिज हैं तथा निगरानीकर्ता अपने हिस्से पर काबिज हैं । अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त दोनो ही मकानों का आलौच्य पट्टा दिनांक 05.09. 2001 को अपने नाम जारी करवा लिया। निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने के पश्चात पक्षकारों के परिजनों व शुभ चिन्तकों ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा करवा दिया हैं । राजीनामा के अनुसार विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निगरानीकर्ता का स्वामित्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाडमेर

स्वीकार किया गया हैं तथा परिशिष्ठ–अ में एबीसीडी के मध्य जिसके मध्य लाल रंग से दर्शाई गई भूमि मय मकान निगरानीकर्ता के आधिपत्य एवं रहवास सुदा परिसर हैं उसका पट्टा निगरानीकर्ता जारी करवाते हैं तो अप्रार्थी सं. 2 को कोई आपत्ति नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने निगरानीकर्ता की भूमि भूलवश आलौच्य पट्टे में दर्ज होना स्वीकार करते हुए आलौच्य पट्टा को निरस्त किये जाने की सहमति प्रदान की गई हैं। अतः यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार आलौच्य पट्टा विलेख दूषित होने से अपास्त किया जाकर माफिक राजीनामा एवं कब्जा अधिपत्य अपने–अपने भूखण्ड का पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी करने हेतु ग्राम पंचायत भाडखा को निर्देशित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे माफिक राजीनामा आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त कर पक्षकारान के अपने–अपने आधिपत्य एवं स्वामित्व के भूमिखण्डों का पृथक–पृथक पट्टा विलेख जारी करने बाबत सहमति प्रदान करते हुए यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की गई हैं।

5. हमने उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, जिससे पाया जाता हैं कि आलौच्य पट्टान्तर्गत भूखण्ड प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के पुश्तैनी कब्जा व आधिपत्य का हैं जिसमें स्व0 राणा एवं तारा का परिवार अपने–अपने हिस्से में निवास कर रहा हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड का आलौच्य पट्टा अपने मकान सहित ग्राम पंचायत भाडखा से जारी करवा लिया हैं जिसे दौरान सुनवाई प्रस्तुत राजीनामा में भूलवश जारी होना प्रकट किया हैं तथा यह भी अभिकथन किया हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड में प्रार्थीगण का भी हक–हिस्सा हैं ऐसे में भूलवश जारी पट्टा को निरस्त किया जाता हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख को अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने बाबत उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं तथा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों के अनुसार उक्त भूखण्ड पुश्तैनी हैं जिस पर अलग–अलग मकान बने हुए हैं तथा अलग–अलग ही निवास हैं। ऐसे में प्रथमदृष्ट्या ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य पट्टा विलेख बिना तथ्यों एवं मौका जांच किये गलत रूप से यह पट्टा जारी किया जाना प्रकट होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र के द्वारा आरोपित आक्षेपों के सम्बन्ध में जांच हेतु ग्राम पंचायत का अभिलेख तलब किया गया हैं किन्तु जब पक्षकारान ने स्वयं ही जरिये राजीनामा विवाद को समाप्त कर आलौच्य पट्टा विलेख गलत जारी होना स्वीकार कर लिया हैं ऐसे में अभिलेख के अवलोकन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। ऐसे मे ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा विवादित मकान व भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व उसके स्वामित्व, कब्जा सम्बन्धी कोई जांच नहीं की गई है तथा इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख अवैध होने से निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 श्रीमती संतु पत्नी तारा नाई के नाम जारी पट्टा सं. शुन्य दिनांक 05.09.2001 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण ग्राम पंचायत भाडखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके स्वामित्व एवं कब्जा की जांच करते नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर